न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 59/18
निर्णय दिनांक: 10.05.2018

1. बन्ना पुत्र रूपा
2. धन्ना पुत्र रूपा
समस्त जाति गुर्जर नि0 कोरसीना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादी

<u>वाद बाबत घोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती इन्द्राज</u>

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादीगण की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खाता सं0 86 के खं0नं0 235 रकबा 4 विस्वा, खं0नं0 236 रकबा 6 बीघा 5 विस्वा, खं0नं0 237 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 238 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा, खं0नं0 239 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 240 रकबा 1 बीघा, खं0नं0 241 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा, खं0नं0 242 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा किता 8 कुल रकबा 19 बीघा 5 विस्वा वाके ग्राम कोरसीना में स्थित है जिसमें वादीगण का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा है इसी प्रकार खाता सं0 85 की आराजी खं0नं0 73 रकबा 22 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 109 रकबा 7 बीघा, खं0नं0 196 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 234 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 244 रकबा 16 विस्वा किता 5 कुल रकबा 33 बीघा 2 विस्वा जो सम्पूर्ण भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है जिसमें वादीगण अपने हक व हिस्सें की भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उपरोक्त आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी है जो कि वादीगण को उनके दादा मांगू पुत्र लक्ष्मण से विरासत में मिली है वादीगण मांगू के वंशज है। उपरोक्त सिजरा के अनुसार मांगू पुत्र लक्ष्मण का पुत्र रूपा था ओर रूपा के वादीगण बन्ना व धन्ना दो पुत्र थे। वादीगण के पिता रूपा की मृत्यु होने पर वादीगण ने उपरोक्त आराजीयात का नामान्तकरण अपने नाम खुलवाया तब सहवन से वादीगण के पिता का नाम मांग्या कर दिया गया जबकि मांग्या वादीगण के दादा थे जिसको मांग्या उर्फ मांगू के नाम से पुकारते थे। इस पर राजस्व रिकोर्ड में वादीगण के पिता का नाम रूपा की जगह मांग्या दर्ज कर दिया गया जबकि मांग्या तो वादीगण का दादा लगता था। जो कि वादीगण के पिता रूपा के प्राकृतिक पिता थे इस प्रकार राजस्व रिकोर्ड में वादीगण के पिता का नाम रूपा की जगह मांग्या सहवन से अंकित हुआ है जिसकी जानकारी वादीगण को पूर्व में कभी नहीं थी। वादीगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ व्यक्ति है जो कि अपने पिता से विरासत में मिली उपरोक्त आराजीयात पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है वादीगण उपरोक्त आराजीयात में उनके पिता का नाम रूपा की जगह मांग्या गलत दर्ज होने की पूर्व में कभी कोई जानकारी नहीं रही लेकिन वर्तमान में वादीगण ने अपनी संयुक्त कब्जें काश्त की आराजीयात का

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned by CamScanner

आपसी सहमति से विभाजन करवानें के लिए पटवारी हल्का के पास गये तो वादीगण को जानकारी हुई कि वादीगण की उपरोक्त आराजीयात में उनके पिता का नाम रूपा की जगह मांग्या अंकित किया हुआ है। तब वादीगण को उपरोक्त गलती की जानकारी होने पर वादीगण ने राजस्व दस्तावेजात नकल जमाबन्दी व विरासत के नामान्तकरण सं0 122 दिनांक 22.04.74 की नकलें प्राप्त की ओर तहसीलदार फुलेरा को उपरोक्त गलती को दुरूस्ती करने के लिए दिनांक 15.02.18 को निवेदन किया तो उन्होनें न्यायालय में जाकर चारा जोरी करने को कहा इसलिए यह वाद बाबत् घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज का पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र कोरसीना में पेश हुयी। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया गया।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75, नामान्तकरण सं0 122, नकल जमाबन्दी संवत् 2039 से 2063, मृत्यु प्रमाण पत्र मांग्या, रूपा, फोटो कॉपी आर्डर कार्ड मांग्या, रूपा, राशनकार्ड मांग्या, रूपा के पेश किये है।

वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली व प्रतिवादी के जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खाता सं0 86 के खं0नं0 235 रकबा 4 विस्वा, खं0नं0 236 रकबा 6 बीघा 5 विस्वा, खं0नं0 237 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 238 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा, खं0नं0 239 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 240 रकबा 1 बीघा, खं0नं0 241 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा, खं0नं0 242 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा किता 8 कुल रकबा 19 बीघा 5 विस्वा व खाता सं0 85 की आराजी खं0नं0 73 रकबा 22 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 109 रकबा 7 बीघा, खं0नं0 196 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 234 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 244 रकबा 16 विस्वा किता 5 कुल रकबा 33 बीघा 2 विस्वा वाकै ग्राम कोरसीना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में दर्ज वादीगण के पिता का नाम मांग्या उर्फ मांगू के स्थान पर रूपा दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 10.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प कोरसीना मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
साभरलेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक
बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

बन्ना वगै0 बनाम राज0 सरकार
दावा बाबत घोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती इन्द्राज
मुकदमा नंबर 59/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री दिव्यराज वीर व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खाता सं0 86 के खं0नं0 235 रकबा 4 विस्वा, खं0नं0 236 रकबा 6 बीघा 5 विस्वा, खं0नं0 237 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 238 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा, खं0नं0 239 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 240 रकबा 1 बीघा, खं0नं0 241 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा, खं0नं0 242 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा किता 8 कुल रकबा 19 बीघा 5 विस्वा व खाता सं0 85 की आराजी खं0नं0 73 रकबा 22 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 109 रकबा 7 बीघा, खं0नं0 196 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 234 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 244 रकबा 16 विस्वा किता 5 कुल रकबा 33 बीघा 2 विस्वा वाकै ग्राम कोरसीना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में दर्ज वादीगण के पिता का नाम मांग्या उर्फ मांगू के स्थान पर रूपा दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। ....निज .... मुबलिग......... .... बाबत्.................................. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..................................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत.........

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

मुहर
ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner